Need to confer voting rights to prisoners

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): देश में लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय और पंचायत चुनाव में बंदियों को जेल में ही मतदान की सुविधा मिलनी चाहिए। जब एक बंदी देश की चुनावी पर्व में प्रत्याशी बनकर सम्मिलित हो सकता है तो फिर अन्य बंदियों को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को जेल में ही बूथ बनाकर उनको मतदान करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। है। देश की विभिन्न जेलों में 5 लाख से ज्यादा बंदी निरुद्ध हैं। उन्हें वोट का अधिकार प्राप्त है, लेकिन प्रत्येक चुनाव में ये मतदाता अपने मत का प्रयोग करने से वंचित रह जाते हैं।

इतनी बड़ी मतदाता संख्या के मतदान के लिए चुनाव आयोग को व्यवस्था करनी चाहिए। अब चुनाव में वृद्धजनों एवं दिव्यांगों को डाकमत से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। ऐसे में कारागार में निरुद्ध बंदियों को भी मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। चुनाव आयोग प्रत्येक जेल पर एक बूथ बनाए, जिससे निरुद्ध बंदियों को जेल में ही वोट डालने की सुविधा मिले। जिससे वह अपने पसंदीदा प्रत्याशी को जनप्रतिनिधि के रूप में चुन सकें।